बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिघोषणा पत्रांक:-2967/रा०
दिनांक:-17/12/12

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा- राजपुर कला, थाना नं0 22 अंचल-सिमरी, जिला बक्सर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आर्सेनिक मुक्त जलापूर्त्ति हेतु वाटर टावर के स्थापना हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए एतद् द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उपरोक्त मौजा- राजपुर कला, थाना नं0 22 अंचल-सिमरी के अन्दर एक भूखण्ड अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वेश रकबा 0.125 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित हैः-

खेसरा संख्या - 33 अंश

चौहदी निम्नवत हैः-

खेसरा संख्या (अर्जनाधीन खेसरा)	उत्तर (खेसरा संख्या)	दक्षिण (खेसरा संख्या)	पूरब (खेसरा संख्या)	पश्चिम (खेसरा संख्या)
33 अंश	32	रोड़	33 अंश	रोड़

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर या अन्य खनिजों के खान की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भू- अर्जित कि जा रहीं है। इस निर्माण के लिए खोदना या हटाना या उपयोग मे लाना आवश्यक हो ले लिए जायेगे। यह घोषणा 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा भूमि अर्जन कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर। | जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर। | अपर समाहर्त्ता, बक्सर। | समाहर्त्ता, बक्सर

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 2967/रा० दिनांक 17/12/12।

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सी0डी0 सहित एवं तीन प्रारुप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपिः- उप समाहर्त्ता प्रभारी, समान्य शाखा, समाहरणालय, बक्सर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, बक्सर / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/12

सरकार के अवर सचिव